HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 35654 of 2025

Siyaram Nisad Alias Sitaram

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	D.M.Tripathi
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A., Ila Deol, Rahul Mishra

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. सूची पुनरीक्षित।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि आवेदक ने डरा-धमकाकर जबरदस्ती पीड़िता के साथ यौन संबंध स्थापित किए तथा ऐसे संबंध के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के कथन के समर्थन में कोई डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि आरोपित अपराध की सत्यता सिद्ध करने के लिए आवेदक के साथ-साथ पीड़िता के बच्चे का भी डी.एन.ए. परीक्षण कराया जाना उचित होगा।

6. उपरोक्तानुसार संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह मुकदमा अपराध संख्या 58/2025, अंतर्गत धारा 64(2)(k), 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 5j(2)/5(k)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर में पीड़िता द्वारा शिशु जन्म देने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर नामित अभियुक्त/आवेदक, पीड़िता एवं पीड़िता द्वारा जन्म नवजात शिशु के डी.एन.ए. परीक्षण हेतु नमूने एकत्र करने के बाद उन्हें संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजेंगे। साथ ही साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला को यह निर्देशित किया जाता है कि नमूना प्राप्त होने के उपरान्त डी.एन.ए. टेस्ट की रिपोर्ट इस न्यायालय को यथाशीघ्र एक सीलबंद लिफाफे में अगली नियत तिथि तक या उससे पूर्व भेजेंगे।

7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे पारित इस आदेश को 48 घंटे के अंदर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करें।

8. इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के समक्ष आवश्यक अनुपालन हेतु प्रदान की जाए।

9. तद्नुसार इस वाद को दिनांक 18.12.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 18, 2025
Rahul

Digitally signed by :-
RAHUL KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad